संख्या– /71–2–14–एन–41/2

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 04/9 अगस्त, 2

विषय:– मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं0 नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीक्स एवं डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण प्रारम्भ करने स्वीकृति/अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6483/2014, दिनांक 23.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन ए मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं0 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतम नगर में डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी0टी0 स टेक्नीक्स एवं डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण मे 30 छात्र (प्रत्येक पाठ्यक्रम) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशि केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. संस्था द्वारा डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा सी0टी0 स्कैन टेक्नीक्स एवं डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण में 30 छात्र (प्रत्येक पाठ्यक्रम) प्रतिवर्ष प्र क्षमता रखी जाय तथा किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों का चयन न कि जाय।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षण/प्रवेश/शुल्क के संबंध समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है।
3. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लघन किया जाता है संस्थान की अनुमति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
4. छात्रों की परीक्षाएं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जायेगी परीक्षा में सफल छात्रों को फैकल्टी द्वारा नियमानुसार डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

2580

संख्या– (1)/71–2–14–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्धक, मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्ल नं0 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर ।
3. गार्ड फाईल।

METRO COLLEGE OF NURSING
Principal

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

METRO COLLEGE OF NURSING
Principal